बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

सं० :–2/अ०प्र०–1–29/2018 33 /पटना, दिनांक :– 12/4/23

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई के पत्रांक–1774 अनु0 दिनांक–05.12.2017 द्वारा श्री रामचन्द्र प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई के विरूद्ध सरकारी कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने, सरकारी मोबाईल बंद रखने, योजना से संबंधित बैठकों में भाग नहीं लेने, विपत्र समर्पित नहीं करने, मुख्यालय से अनुपस्थित रहने इत्यादि आरोप के लिए आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, जमुई के आदेश ज्ञापांक–1191 दिनांक–03.10.2017 द्वारा सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने एवं विधि व्यवस्था के संधारण को सुनियोजित ढंग से बिगाड़ने के प्रयास के आरोप में श्री प्रसाद के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई को निदेश दिया गया।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, जमुई द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक–1133 अनु0 दिनांक–21.05.2018 द्वारा श्री प्रसाद से आरोप पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद द्वारा उक्त के आलोक में दिनांक–01.06.2018 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निर्णय लेने से पूर्व जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई से इनके विरूद्ध की गई प्राथमिकी से संबंधित सूचना की मांग विभागीय पत्रांक–610 दिनांक–08.03.2019 द्वारा की गयी। कई बार स्मारित करने के बावजूद भी अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई से श्री प्रसाद के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना अप्राप्त रहने के कारण इनके स्पष्टीकरण पर निर्णय लेने हेतु विभागीय पत्रांक–1350 अनु0 दिनांक–10.08.2022 द्वारा कार्यपालक अभियंता, जमुई से मंतव्य की मांग की गयी।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमडल, जमुई के पत्रांक–1261 अनु0 दिनांक–25.08.2022 द्वारा श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर पूर्व में कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित मंतव्य, जिसमें श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं होने का मंतव्य दिया गया था, से सहमति व्यक्त की गयी।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमडल, जमुई के उक्त मंतव्य के आलोक में समीक्षोपरांत श्री रामचन्द्र प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–1 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत निम्न दंड अधिरोपित किया जाता है:–

1. **निदंन (आरोप वर्ष–2017–18)।**
2. **असंचयात्मक रूप से अगले दो वेतन वृद्धि पर रोक।**

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:**Secartary rwd bihar@gmail.com,**& secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–29/2018 744 /पटना, दिनांक :– 12/4/23

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–29/2018 744 /पटना, दिनांक :– 12/4/23

प्रतिलिपि :–सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/छपरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–1/जमुई/प्रशाखा पदाधिकारी, पशाखा–4 एवं श्री रामचन्द्र प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–29/2018 744 /पटना, दिनांक :– 12/4/23

प्रतिलिपि :–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

(7) आई.टी. मैनेजर

8